2019 का विधेयक संख्यांक 97

[दि यूथ स्किल ट्रेनिंग बिल, 2019 का हिन्दी रूपान्तर]

श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य

का

युवा कौशल प्रशिक्षण विधेयक, 2019

प्रत्येक युवा को और अधिक रोजगार योग्य बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने; कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के भाग के रूप में उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिए एक वैकल्पिक पथ उपलब्ध कराने और युवा एवं सामाजिक रूप से वंचित वर्ग हेतु शिक्षा के अवसरों का विस्तार करने तथा तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम युवा कौशल प्रशिक्षण अधिनियम, 2019 है।

(*2*) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर है।

(*3*) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''समुचित सरकार'' से किसी राज्य के मामले में उस राज्य की सरकार और अन्य सभी मामलों में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ख) ''प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण मॉड्यूल'' से किसी ऐसे विद्यार्थी अथवा प्रशिक्षु की स्थिति अभिप्रेत है जो कार्य अनुभव प्राप्त करने अथवा किसी अर्हता हेतु अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु किसी संगठन में कार्य करता है;

(ग) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है; और

(घ) ''युवा'' से अठारह वर्ष की आयु पूरी कर चुका परन्तु तीस वर्ष से कम आयु वाला व्यक्ति अभिप्रेत है।

समुचित सरकार द्वारा कौशल प्रशिक्षण इकाई की स्थापना की जाएगी।

3. (*1*) समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्राथमिक रूप से आर्थिक और/अथवा सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों हेतु, उच्चतर शिक्षा के विकल्पों के रूप में कौशल प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराने हेतु एक अलग इकाई की स्थापना करेगी।

(*2*) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें उप-धारा (*1*) के अन्तर्गत स्थापित इकाई के वित्तपोषण हेतु ऐसी रीति से अंशदान करेंगी जो विहित की जाए।

(*3*) समुचित सरकार युवाओं को उच्च गुणवत्ता का रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के एक भाग के रूप में उद्यम-आधारित प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिये निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करेगी और प्रशिक्षण पूर्ण होने पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करेगी।

(*4*) समुचित सरकार सरकारी तथा निजी उद्यम के नियोक्ताओं और प्रशिक्षकों को नये प्रशिक्षुओं की पूर्व निर्धारित संख्या की विशेषज्ञता और रोजगारपरकता सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक प्रशिक्षण विकल्प उपलब्ध कराएगी।

कौशल प्रशिक्षण इकाइयों का उत्तरदायित्व।

4. खण्ड 3 के अन्तर्गत स्थापित कौशल प्रशिक्षण इकाई,—

(क) नये अभ्यर्थियों का कौशल प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिये सभी प्रशिक्षकों और नियोक्ताओं को सुविधाएं उपलब्ध कराएगी;

(ख) प्रशिक्षुओं और कर्मचारियों को प्रौद्योगिकी के उत्पादों, सेवाओं अथवा विशेषताओं के उपयोग और अद्यतन कार्यसाधक ज्ञान के संबंध में शिक्षित करेगी;

(ग) प्रशिक्षुओं को नये कौशल प्रदान करने और नवीन संकल्पनात्मक क्षमताओं की शुरुआत करने के लिए विद्यमान प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के आधुनिकीकरण अथवा उन्नत बनाने की दिशा में अंशदान देगी; और

(घ) विकास हेतु इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए अधिगृहीत ज्ञान का उपयोग कर कौशल को कुशलतापूर्वक निखारकर स्थानीय सामग्री और प्रशिक्षु के कौशल का समुचित उपयोग सुनिश्चित करेगी।

समुचित सरकार कुशल व्यक्ति के लिये रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।

5. (*1*) समुचित सरकार, प्रशिक्षण पूर्ण होने पर, कुशल व्यक्तियों को उसी संस्था में रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी जहां उन व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया हो अथवा प्रशिक्षुता ग्रहण की हो।

(*2*) समुचित सरकार उपखण्ड (*1*) के प्रयोजन हेतु —

(क) प्रत्येक राज्य में रोजगार मेले आयोजित करेगी;

(ख) निजी उद्यमों की नीतियों के अनुरूप प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण माड्यूलों की शुरुआत करेगी; और

(ग) नियमित अवधियों के पश्चात् प्रशिक्षु के रोजगार का मूल्यांकन करेगी।

नये प्रशिक्षुओं हेतु आरक्षण।

6. समुचित सरकार —

(क) जब भी नये अभ्यर्थियों हेतु कोई रिक्ति होगी तो प्रत्येक सरकारी और निजी उद्यम में इन प्रशिक्षुओं हेतु बीस प्रतिशत स्थान आरक्षित करेगी; और

(ख) कौशल प्रशिक्षण इकाई द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों हेतु राज्य के अंतर्गत पांच प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करेगी।

7. समुचित सरकार —

समुचित सरकार उच्चतर शिक्षा में अनिवार्य कौशल निर्माण कार्यशालाएं उपलब्ध कराएगी।

(एक) विद्यार्थियों को मूलभूत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने और उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए उच्चतर शिक्षा के एक अनिवार्य भाग के रूप में कौशल विकास कार्यशालाओं का निर्माण करेगी; और

(दो) विद्यार्थियों को कौशल विकास हेतु विकल्प उपलब्ध कराएगी और उन्हें उपलब्ध विकल्पों में से कौशल के किसी एक विशेष सेट को सीखने के लिये समर्थ बनाएगी।

8. इस अधिनियम के उपबंध कौशल विकास और प्रशिक्षण से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या इस अधिनियम के अतिरिक्त किसी अन्य विधि के कारण प्रभावी किसी दस्तावेज में अन्तर्विष्ट किसी बात के असंगत होते हुए भी प्रभावी होंगे।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव।

9. (*1*) समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

(*2*) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपांतर करने के लिए सहमत हो जाएं अथवा दोनों सदन सहमत हो जाएं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो इसके पश्चात् वह नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभावी हो जाएगा; तथापि, ऐसे किसी उपांतर या निष्प्रभाव होने से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(*3*) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए प्रत्येक नियम को, इसके बनाए जाने के बाद शीघ्रातिशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है कि कौशल विकास की दिशा में किये जा रहे प्रयासों से अनेक लक्ष्यों की पूर्ति हो। युवाओं को कुशल बनाने से गरीबी कम करने में मदद मिलेगी, बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों को दूसरा अवसर उपलब्ध होगा और यह युवाओं को बिना काम के घूमने से रोकने के लिये एक 'समूह' के रूप में कार्य करेगा तथा भारत की आबादी में आधे से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले महत्वाकांक्षी युवाओं के लिये गरिमापूर्ण जीवन और आजीविका सुनिश्चित करेगा। इन अनेक लक्ष्यों को वर्तमान में युवाओं के समक्ष मौजूद बेरोजगारी, अल्परोजगार और अन्य सामाजिक तथा आर्थिक बुराइयों से संघर्ष करने के लिये सामंजस्यपूर्ण और युक्तिपूर्ण तरीके से आकार दिया जा सकता है।

कौशल विकास को अब किसी कमतर विकल्प के रूप में नहीं देखा जा सकता है, अब युवाओं को प्रेरित करने और राष्ट्रीय तथा वैश्विक तौर पर उन्हें उनके कौशल तथा प्रतिभा को सर्वोत्कृष्ट एवं सार्थक तरीकों से पहचानने और निखारने में सहायता कर उनकी ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करने का समय है। आज के समय में कौशल प्राप्त युवाओं को रोजगार प्रदान करना हमारी प्राथमिकता होगी, बड़ी संख्या में युवाओं के बीच में पढ़ाई छोड़ने से एक रिक्तता पैदा हो गई है और युवाओं को कौशल विकास हेतु अवसरों तक त्वरित पहुंच प्रदान कर इसे तत्काल दूर करने की आवश्यकता है।

राज्य कौशल-प्रशिक्षण के अवसर प्रदान कर अपना सामाजिक दायित्व निभाएगा जोकि मात्र औद्योगिक कौशल आधार को सुदृढ़ करने के अतिरिक्त, मुख्यत: आर्थिक और/अथवा सामाजिक रूप से वंचित लोगों के लिये उच्चतर शिक्षा के विकल्प हैं। चूंकि अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्र में उद्यम-आधारित प्रशिक्षण बहुत कम है और भारत की मात्र सत्रह प्रतिशत विनिर्माण इकाइयां कर्मचारियों को किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करती हैं, यह सुनिश्चित करना राज्य की ओर से एक उल्लेखनीय कदम होगा कि भारत के युवाओं की नियोजनीयता सुनिश्चित करने में सरकारी और निजी दोनों उद्यमों की भागीदारी हो। राज्य के अंतर्गत एक विशेष तौर पर तैयार किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम और पोर्टल बनाकर नियोक्ता इस अति आवश्यक सामाजिक परिवर्तन को लाने में सीधे तौर पर भागीदारी कर सकते हैं।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;
6 जून, 2019

सुप्रिया सुले

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 3 समुचित सरकार द्वारा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये कौशल इकाइयों की स्थापना करने का उपबंध करता है। खंड 4 नियोक्ताओं हेतु प्रशिक्षण सुविधाओं का उपबंध करता है। खंड 5 रोजगार मेलों के आयोजन, माड्यूल और मूल्यांकन सत्रों का उपबंध करता है। खंड 6 कौशल विकास कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों हेतु सरकारी और निजी उद्यमों दोनों में नौकरियों में आरक्षण का उपबंध करता है। अत: विधेयक के अधिनियमित होने पर भारत की संचित निधि में से व्यय होगा। इस पर प्रतिवर्ष लगभग एक हजार करोड़ रुपए का आवर्ती व्यय होने का अनुमान है।

इस पर लगभग एक हजार करोड़ रुपए का अनावर्ती व्यय होने की भी संभावना है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खंड 9 विधेयक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए समुचित सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। चूंकि नियम केवल ब्यौरे के मामलों से संबंधित होंगे, अत: विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

लोक सभा

प्रत्येक युवा को और अधिक रोजगार योग्य बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने; कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के भाग के रूप में उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिए एक वैकल्पिक पथ उपलब्ध कराने और युवा एवं सामाजिक रूप से वंचित वर्ग हेतु शिक्षा के अवसरों का विस्तार करने तथा तत्संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

(श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य)

MGIPMRND—627LS(S3)—27.06.2019.